भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 301
जिसका उत्तर मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

फेम इंडिया

301. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मिश्रित और विद्युत चालित वाहनों का शीघ्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना (फेम इंडिया) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या सरकार देश में 'फेम इंडिया' के अन्तर्गत निर्धारित व प्राप्त लक्ष्यों तथा इसकी प्रगति की निरंतर समीक्षा कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में फेम इंडिया के अन्तर्गत उत्पादित विद्युत चालित/मिश्रित वाहनों की संख्या कितनी है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में फेम इंडिया योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है और उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में फेम इंडिया के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ): नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी 2020) के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने 6 वर्ष की अवधि अर्थात् 2020 तक के लिए एक स्कीम अर्थात् फेम - इंडिया (भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) तैयार की, जिसमें हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार और इसके विनिर्माण संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करने का इरादा है ताकि निर्धारित अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यह स्कीम भारत सरकार की पर्यावरण के अनुकूल पहलों में से एक है, जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन सेक्टर से प्रदूषण कम करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होगी। इस स्कीम के 4 फोकस क्षेत्र हैं अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग-सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना।

मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार सृजन का उद्देश्य सभी वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। विस्तृत रूप से अपनाए जाने के लिए क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ताओं/ग्राहकों) के लिए मांग प्रोत्साहन कम की गई अग्रिम क्रय कीमत के रूप में उपलब्ध है।

लगातार.....2

फेम इंडिया स्कीम का चरण-1 प्रारंभ में 1 अप्रैल, 2015 से दो वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए था। तथापि, चरण-1 1 अप्रैल, 2017 से इस स्कीम के तहत माइल्ड हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध लाभों को बंद करने के आंशिक संशोधन के साथ, 31 मार्च, **2017** के बाद और **6** माह की अवधि अर्थात 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।

इस स्कीम में प्रावधान किया गया है कि इस चरण-1 में प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर, इस योजना की समीक्षा हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उचित रूप से की जाएगी तथा भविष्य में धन के उचित आवंटन के साथ चरण-1 के बाद कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा।

फेम इंडिया स्कीम के तहत, 01 अप्रैल, 2015 को इसके शुभारंभ से लेकर 30 जून, 2017 तक मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 1,48,275 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को ₹192.56 करोड़ (अनुमानित) की राशि की प्रत्यक्ष सहायता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 13553917 लीटर ईंधन की बचत हुई है और 33971052 किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड में कमी आई है।

फेम इंडिया स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए बजटीय आबंटन तथा निधि के उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार अनुसार है:-

क्रम सं.	**वित्त वर्ष**	**बजट आबंटन**	**निधि का उपयोग**
1.	2015-16	₹ 75 करोड़	₹ 75 करोड़(अनुमानित)
2.	2016-17	₹ 144 करोड़	₹ 144 करोड़ (अनुमानित)
3.	2017-18	₹ 175 करोड़	₹ 65 करोड़ (अनुमानित) [30 जून, 2017 तक]

*****